संख्या-19/2026/I/1511220/2026-42-01002(001)/291/2019

प्रेषक,

कुमार विनीत,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक-03-11-2026

विषय:- अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-I/794464/पुनर्वि0 पत्रा0/2026-27, दिनांक 21.09.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र संख्या- A 042-20262027-291-2019, दिनांक 22 अक्टूबर, 2026 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक " 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें -001-निदेशन तथा प्रशासन 03-खेलकूद निदेशालय 16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में संलग्न पुनर्विनियोग प्रस्ताव धनराशि रू0 28,95,000/-(रूपये अट्ठाईस लाख पंचानबे हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करते हुए उक्त सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 28,95,000/-(रूपये अट्ठाईस लाख पंचानबे हजार मात्र) निदेशक, खेल के निर्वतन पर रखी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2) निदेशक, खेल द्वारा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अनुसार उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये पुनर्विनियोग किया जा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) निदेशक, खेल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(7) व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4 /2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये रू0 28,95,000/-(रूपये अट्ठाईस लाख पंचानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 2204000010300 खेलकूद निदेशालय मानक मद 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4 /2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(कुमार विनीत)
विशेष सचिव ।

संख्या व दिनांक : तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
3-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
7- नियोजन अनुभाग-4
8- परियोजना प्रबन्धक, सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
9- गार्ड फाईल/ कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,
कुमार विनीत
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A042-20262027-291-2019

विषयः- अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
022	2204001040500 (भूतपूर्व प्रसिद्व खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता-)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	28,95,000 रुपये अट्ठाईस लाख पंचानबे हजार मात्र	28,95,000 रुपये अट्ठाईस लाख पंचानबे हजार मात्र	28,95,000 रुपये अट्ठाईस लाख पंचानबे हजार मात्र	5,71,05,000 रुपये पाँच करोड़ इकहत्तर लाख पाँच हजार मात्र	2026-2027
कुल					₹ 28,95,000	₹ 28,95,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
022	2204000010300 (खेलकूद निदेशालय)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	18,00,000 रुपये अठारह लाख मात्र	28,95,000 रुपये अट्ठाईस लाख पंचानबे हजार मात्र	28,95,000 रुपये अट्ठाईस लाख पंचानबे हजार मात्र	46,95,000 रुपये छियालीस लाख पंचानबे हजार मात्र	2026-2027
कुल				₹ 28,95,000	₹ 28,95,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वर्ष 2026-27 हेतु भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को एकमुश्त धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित की जा चुकी है। अस्तु योजना में रू0 360.32 लाख की बचत होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

शासन के पत्र दिनांक 21-08-2026 द्वारा परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा पत्र दिनांक 12-08-2026 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये संशोधित वेटिंग शुल्क रू0 31.95 लाख का 25 प्रतिशत अर्थात रू0 7.99 लाख का अग्रिम भुगतान अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खेलकूद निदेशालय 16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में व्यवस्थित धनराशि रू0 18.00 लाख में से किये जाने तथा अवशेष वेटिंग शुल्क हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट व्यवस्था कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-001- निदेशन तथा प्रशासन-03-खेलकूद निदेशालय के अधीन 16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में प्राविधानित धनराशि रू0 18.00 लाख के सापेक्ष मुख्यालय, जनपद एवं मण्डल स्तर पर रू0 13.16 लाख आवंटित किये जाने के उपरान्त रू0 4.84 लाख अवशेष है। प्रश्नगत मद में विभाग की आकस्मिक व्यय की आवश्यकता के दृष्टिगत आवंटन हेतु अवशेष धनराशि से रू0 1.84 लाख को रोका जाना समीचीन होगा। शेष धनराशि रू0 3.00 लाख को समायोजित करते हुए वेटिंग शुल्क हेतु वांछित धनराशि रू0 31.95 लाख के सापेक्ष रू0 28.95 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-147-E-5-96-X-2026-27-दिनांक: 22-10-2026

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी),प्रथम
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सूर्य नाथ उपाध्याय
अनु सचिव

अनीता चौधरी
उप सचिव

संख्या : A042-20262027-291-2019 , दिनांक-22 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक,खेल, खेल निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से
सूर्य नाथ उपाध्याय
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in